राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

<u>एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3809/2006</u>

1. राजस्थान राज्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा एवं_स्वास्थ्य विभाग, जिला भीलवाड़ा के माध्यम से।
2. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्रीमती मंजू बेरवा पत्नी श्री राजकुमार बेरवा, निवासी बेरवा मोहल्ला, गुलमंडी, जिला भीलवाड़ा।
2. न्यायाधीश, श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री गौरव रांका

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री सौरभ माहेश्वरी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>14/03/2024</u>

1. याचिकाकर्ता/नियोक्ता (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) इस न्यायालय के समक्ष विद्वान श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 08.08.2005 को दिए गए एक अवार्ड को चुनौती दे रहा है। प्रतिवादी सं. 1 - श्रीमती मंजू बेरवा की सेवाएं समाप्त करने वाले दिनांक 17.10.2002 के आदेश को विद्वान श्रम न्यायालय ने अवैध माना था। परिणामस्वरूप, विभाग को प्रतिवादी सं. 1 को बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (एमपीडब्ल्यू महिला/कर्मचारी) के

रूप में संविदा के आधार पर वापस सेवा में लेने का निर्देश दिया गया है, जैसी स्थिति उस समय थी जब विभाग द्वारा दिनांक 17.10.2002 को पारित आदेश के तहत उसकी सेवाएं समाप्त की गई थीं।

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी सं. 1 को कार्यालय आदेश दिनांक 07.07.2000 (अनुलग्नक-3) के तहत 3,500/- रुपये के निश्चित वेतन पर एमपीडब्ल्यू (महिला) के रूप में नियुक्त किया गया था। सेवा में रहते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 को आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 471, 384 और 120 बी के तहत एफआईआर संख्या 302/2002 से उत्पन्न एक आपराधिक मामले में फंसाया गया। उसे कथित तौर पर आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया था, जो कि कुछ पारिवारिक विवाद से उत्पन्न हुआ बताया गया है। जैसा भी हो, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 18.07.2002 को भीलवाड़ा के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 को 26.07.2002 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत मिलने के बाद, उसने अपने काम को फिर से शुरू करने के लिए अपने नियोक्ता से संपर्क किया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने 17.10.2002 के आदेश के तहत उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं। इस प्रकार उसने विद्वान श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद, इस रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उक्त एफआईआर से उत्पन्न आपराधिक मुकदमे में, उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2011 के आदेश और निर्णय के तहत बरी कर दिया गया था।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुना है और केस फाइल के रिकॉर्ड को देखा है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील सबसे पहले यह तर्क देंगे कि याचिकाकर्ताओं का मामला सतीश चंद्र यादव बनाम भारत संघ और अन्य: 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 1300 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है।

5. वह आगे तर्क देंगे कि उसके निवास पर पत्र/नोटिस भेजे गए थे लेकिन वह न्यायिक हिरासत में थी इसलिए वह ड्यूटी पर नहीं आई। ऐसी स्थिति में, वर्तमान मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जहां विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा बहाली की राहत दी जानी चाहिए थी हालांकि, इस प्रकार विद्वान श्रम न्यायालय ने उसे गलत तरीके से राहत प्रदान की है।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं ने बिना किसी जांच के, मनमाने तरीके से केवल एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर समाप्ति आदेश पारित कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपनी गलती को समझते हुए, याचिकाकर्ताओं ने एक ओर 30.07.2002 के एक पत्र के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 को बहाल करने का निर्देश दिया, लेकिन दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 की सेवाओं को अचानक समाप्त कर दिया गया।

7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि मजबूर करने वाली परिस्थितियों के कारण, प्रतिवादी संख्या 1 ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हो सका और, इस तरह, इसे जानबूझकर अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता है। कृष्णकांत बी.परमर बनाम भारत संघ (यूओआई) एवं अन्य: (2012) 3 एससीसी 178 और छेल सिंह बनाम एमजीबी ग्रामीण बैंक: (2014) 13 एससीसी 166 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा समाप्ति का आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का न तो उचित अवसर प्रदान किया गया और न ही कोई अनुशासनात्मक जांच की गई। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, जिसे नैतिक पतन माना जा सके। उन्होंने संजय दाधीच बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य: एस.बी. सीडब्ल्यूपी संख्या 6869/2007, 17.10.2023 (जयपुर बेंच) को तय इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया।

9. प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने ड्यूटी के दौरान कोई अपराध नहीं किया है। वह अपनी इच्छा से काम से अनुपस्थित नहीं रही, बल्कि राज्य के एक कृत्य के कारण उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण अनुपस्थित रही। उसकी सेवाओं की समाप्ति का आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(एफ) का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया।
10. यहां दिए गए विवादित निर्णय के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान वकील का कहना है कि यह कानून के अनुसार सही तरीके से दिया गया है। इसलिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारणों से इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है:

(क) दिनांक 17.10.2002 के समाप्ति आदेश से यह पता नहीं चलता कि दावेदार ने अपने कर्तव्यों का पालन करते समय किस प्रकार नैतिक पतन का अपराध किया है।

(ख) विद्वान श्रम न्यायालय ने सही ढंग से टिप्पणी की है कि दावेदार/कर्मचारी पर कथित साजिश में शामिल होने का निराधार आरोप मात्र होने के कारण, उसे बिना किसी अनुशासनात्मक जांच के समाप्त कर दिया गया है।

(ग) दावेदार की सेवाओं की समाप्ति कलंकपूर्ण और कानून के विरुद्ध है क्योंकि यह समाप्ति आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना किया गया है।

(घ) विद्वान श्रम न्यायालय ने यह भी सही ढंग से टिप्पणी की है कि दावेदार की ड्यूटी से अनुपस्थिति को जानबूझकर अनुपस्थिति नहीं माना जा सकता है और प्रतिवादी नंबर 1 की नियुक्ति को अस्थायी नियुक्ति नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह 07.07.2000 से 17.07.2002 तक अपने कर्तव्यों का पालन करती रही है और दावेदार की नियुक्ति चयन के माध्यम से हुई है, जैसा कि 07.07.2000 के नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

11. प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि तत्काल रिट कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी नंबर 1 ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी के तहत इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। उक्त आवेदन को इस न्यायालय ने 02.03.2007 के आदेश के तहत अनुमति दी थी जिसमें याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी नंबर 1 को उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि 02.03.2007 के उक्त आदेश को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

12. प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले व्यक्तियों को नौकरी पर स्थायी/नियमित किया गया है, लेकिन वर्तमान रिट याचिका के लंबित होने के कारण वह वर्ष 2002 से अपने कर्तव्यों को शामिल नहीं कर पाई हैं।

13. उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ दायर आपराधिक मामले में, दिनांक 03.12.2011 के बरी आदेश के अनुसार यह देखा गया है कि प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला।

14. प्रतिवादी सं. 1 के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि विद्वान श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद 2005 से कामगार को बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान रिट याचिका का लंबित होना और प्रतिवादी सं. 1 को बहाल न होने देना “न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है” का एक उत्कृष्ट उदाहरण है वह वरिष्ठता और वेतनमान के उचित निर्धारण के लाभ की भी हकदार है।

15. अब मैं ऊपर उल्लिखित प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर अपनी राय प्रस्तुत करूंगा और उसके कारण दर्ज करूंगा।

16. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा लिखित दिनांक 30.07.2002 के संचार से यह सामने आता है कि याचिकाकर्ताओं ने स्वयं एक चरण में एक अनुकूल सिफारिश पारित की थी, जिसके तहत उप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि उसे ड्यूटी पर वापस लिया जाए, लेकिन काम से अनुपस्थित रहने वाले दिनों का वेतन न देकर। आगे यह भी निर्देश दिया गया था कि उसे चेतावनी दी जा सकती है कि भविष्य में ड्यूटी से ऐसी अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप प्रतिकूल परिणाम होंगे। यह काफी पेचीदा है कि एक तरफ ऐसी अनुकूल सिफारिश की गई थी और दूसरी तरफ, उसी का पालन करने के बजाय उसी विभाग द्वारा उसी अधिकारी के माध्यम से आपत्तिजनक पुरस्कार को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई है।

17. इसके अलावा, यह पता चला है कि वही अधिकारी, जिसने अपने पिछले पत्र दिनांक 30.07.2002 के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 को सेवा में वापस लेने की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में अचानक 17.10.2002 को इस आधार पर सेवा समाप्ति आदेश पारित कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 जानबूझकर अनुपस्थित रही थी और उसने आपराधिक कार्यवाही में शामिल होने के कारण नैतिक पतन किया था।

18. उपर्युक्त तर्कों पर विचार करने और उन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विद्वान श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 08.08.2005 को दिया गया विवादित निर्णय न तो कानून में किसी भी प्रकार की अनियमितता से ग्रस्त है और न ही साक्ष्य की किसी भी तरह की गलत व्याख्या करता है। वैसे भी, दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्य के आधार पर लिखे गए निष्कर्ष किसी भी प्रकार की विकृति से ग्रस्त नहीं हैं, जिससे इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता हो।

19. इसके अलावा, याचिकाकर्ता विभाग स्पष्ट रूप से अनुमोदन और निंदा में लिप्त है। चूंकि एक ओर उसी अधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 1 को सेवा में वापस लेने की सिफारिश की, वहीं दूसरी ओर पूरी तरह से उलटफेर करते हुए, उसके कुछ दिनों बाद ही सेवा समाप्ति का आदेश पारित कर दिया। कम से कम यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा आचरण निंदनीय नहीं तो सराहनीय अवश्य है।

20. बकाया वेतन के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 1 की सेवाएं दिनांक 17.10.2002 के आदेश के तहत समाप्त कर दी गई थीं। तब से, उसने वास्तव में पद पर काम नहीं किया। बिना काम किए 21 वर्षों से अधिक समय तक उसे भारी मात्रा में बकाया भुगतान करना

न्यायसंगत और उचित नहीं लगता। हालांकि, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ (तब मामले को बंद कर दिया गया) ने दिनांक 02.03.2007 के आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी-कर्मचारी को पूरा बकाया वेतन देने का निर्देश दिया। उक्त आदेश समीचीन होने के कारण नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 17-बी के तहत आई.ए. संख्या 427/2007 के तहत एक आवेदन के माध्यम से, प्रतिवादी कामगार ने याचिकाकर्ता राज्य को उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की है।
>
> मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आवेदन को अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता नियोक्ता को प्रतिवादी-कामगार द्वारा अंतिम बार प्राप्त पूर्ण मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"

21. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि 02.03.2007 के उपरोक्त निर्देश/आदेश ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे चुनौती नहीं दी गई थी। मामले की समग्र परिस्थितियों में, बकाया राशि 02.03.2007 तक के पूर्ण बकाया वेतन के 100% तक सीमित है, जब याचिकाकर्ताओं को उस सीमा तक निर्देश जारी किए गए थे। 03.03.2007 से आज तक की अवधि के लिए बकाया राशि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अंतिम आहरित वेतन के आधार पर गणना की जाने वाली मजदूरी के 50% तक सीमित है। प्रतिवादी संख्या 1 के वित्तीय लाभ सीमित कर दिए गए हैं, लेकिन वह वर्ष 2002 से, जब उसकी सेवाएँ समाप्त की गई थीं, वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभों की हकदार होगी। यदि वह अपने समकक्षों के साथ समानता के आधार पर पात्र पाई जाती है, तो उसे उसके अनुसार नियमितीकरण दिया जाएगा। वह उसी तिथि से सेवा में मानी जाएगी जिस तिथि को उसके समान पद पर कार्यरत अन्य संविदा कर्मियों की भर्ती की गई थी तथा उन्हें वरिष्ठता का लाभ दिया गया था। बकाया वेतन का भुगतान सेवा नियमों के अनुसार लागू दर के अनुसार ब्याज सहित किया जाए।

22. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तत्काल आदेश के वेब प्रिंट के साथ याचिकाकर्ताओं से संपर्क करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 1 को उसके समकक्ष कर्मियों के समान सेवा में वापस लेने का निर्देश दिया जाता है, जो प्रासंगिक समय पर समय-समय पर अपने अनुबंध को बढ़ाकर सेवा में बने रहे।

23. विद्वान श्रम न्यायालय, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 08.08.2005 को दिए गए विवादित निर्णय को उपरोक्तानुसार संशोधित किया जाता है तथा रिट याचिका का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा**),** न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।